कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली उ0प्र0

संख्याक– एस0टी0/31020–92 2014–15 दिनांक– 07-07-2014

प्रबन्धक
डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल
233, पिपरानानकार बहेडी, बरेली ।

विषय– निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र ।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख **15.04.2014** के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं **डी0एस0आर0 पब्लिक स्कूल, 233 पिपरानानकार बहेडी, बरेली** तारीख **01.07.2014** से तारीख **30.06.2017** तक तीन वर्ष की अवधि के लिए **कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक** (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम् 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराऐगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. **सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुलक का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके** माता–पिता यां सरंक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगी।
6. विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
   - (i) प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
   - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उततीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकाथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ।
   - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
   - (viii) अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

For D.S.R. Publi...

Principal
D.S.R. Public School
Pipra Nankar, Bahori (Bly)

Scanned with CamScanner

8. विद्यालय अधिनियम की धारा–19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल
कुल निर्मित क्षेत्रफल
कक्षाओं की संख्या
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भांडागार के लिए कक्ष
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई
बाधारहित पहुंच
अध्यापन पटन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य सरंचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की सिकी चार्टड एकाउटेंड द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक– 15/14–15 है। कृप्या इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियो को दूर करने के लिए जारी किए गए।

16. सोसांइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त के अतिरिक्त विद्यालय प्रबन्धक द्वारा जो पत्राजात/प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये है अथवा प्रबन्धक द्वारा जो तथ्य प्रस्तुत किये गये है उनमें भविष्य में कोई त्रुटि अथवा असत्यता पाये जाने पर विद्यालय की मान्यता स्वतः समापत हो जायेगी।

7/7/2014

(चन्द्रकेश सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बरेली

पृष्ठांकन संख्या– एस0टी0/ /2014–15 दिनांक– वही

1. शिक्षा निदेशक (बे0) उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बे) तृतीय मण्डल बरेली।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी बरेली।
5. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

~~जिला बेसिक शिक्षा~~ अधिकारी
~~बरेली~~

For DSR Public School
Manager

Principal
D.S.R. Public School
Pipra Nankar, Baheri (Bly)

Scanned with CamScanner